लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक / मान्यता / जे / सीबीएसई / 2025 / 61 भोपाल दिनाक 15/01/2026

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सभाग.म.प्र. ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला म.प्र.।
3. समस्त अशा. संस्था अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य हाईस्कूल / हा.से सीबीएसई / आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड म.प्र।

विषय–सीबीएसई / आईसीएसई / अन्य बोर्ड की नवीन मान्यता / अपग्रेडेशन / नवीनीकरण मान्यता वर्ष 2027–28 हेतु https://manyta.dpimp.in/के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी।

–00–

विषयान्तर्गत लेख है कि सीबीएसई,आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड द्वारा संचालित अशासकीय स्कूलों की वर्ष 2027–28 से मान्यता नवीनीकरण / नवीन मान्यता प्रदान करने तथा उक्त कार्यवाही के साथ–साथ शासन से अनापत्ति प्राप्त की जाने संबंधी कार्यवाही हेतु दिनांक 15.01.2026 से https://manyta.dpimp.in/ पोर्टल खोला जा रहा है। इस हेतु पात्र सभी इच्छुक अशासकीय विद्यालयों को नवीन मान्यता / अपग्रेडेशन / मान्यता नवीनीकरण हेतु https://manyta.dpimp.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सारिणी निर्धारित की जाती हैः–

स.क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	अंतिम तिथि
01	मान्यता नवीनीकरण / नवीन मान्यता / अपग्रेडेशन हेतु एमपी ऑनलाइन पर सभी प्रविष्टियों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र अपलोड करने की अवधि	दिनांक 15.02.2026
02	बिलम्ब शुल्क रु.20.000 / – (बीस हजार मात्र) सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10.03.2026
03	संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दल गठित कर छानबीन करने के उपरांत नवीन मान्यता प्रकरणों / नवीनीकरण प्रकरणों / अपग्रेडेशन किये जाने के सबंध में निर्णय लेने की अवधि	संबंधित संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन किए जाने के 15 दिवस की समय सीमा में निर्णय लिया जाए। तदनुसार दिनांक 10.03.2026 को प्राप्त आवेदन के निराकरण हेतु अंतिम तिथि 25.03.2026 होगी।
04	जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए, उनके द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण को ऑनलाइन अपील की अवधि	आवेदन निरस्तीकरण दिनांक से एक माह की समय सीमा में अपील। तदनुसार दिनांक 25.03.2026 को निरस्त आवेदन हेतु अपील की अंतिम तिथि 25.04.2026 होगी।
05	आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त अपील के निराकरण की अवधि	अपील प्राप्ति दिनांक से एक माह की समय सीमा में निराकरण। तदनुसार दिनांक 25.04.2026 को प्राप्त अपील के निराकरण हेतु अंतिम तिथि 25.05.2026 होगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ. क्रमांक / मान्यता / जे / सीबीएसई / 2025 / 62 भोपाल दिनाक 15/01/2026

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
3. सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
4. प्रबंधक संचालक, निक्सी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.